न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी– वीरेन्द्र सिह चौधरी आर.ए.एस.

अपील संख्या 25/20

निर्णय दिनांकः 10-10-2023

1. ईनायत खॉ पुत्र गुटेखॉ जाति कायमखानी मुसलमान निवासी थेलासीर तहसील व जिला चूरू।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

**अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 07–03–1987**
**सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर**

उपस्थितिः–

1. श्री मनमोहन चौधरी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 07–03–1987 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहंस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील खाजुवाला हाल तहसील पूगल के चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 84/53 के किला नम्बर 1 ता 25 में तादादी 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 84/54 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा अनकमाण्ड

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भूमि का आवंटन वर्ष 1987 में किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट को उक्त भूमि पूर्व में आवंटित भूमि जोकि वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि की एवज में विनिमय का पात्र मानते हुए किया गया था तथा उक्त आवंटन की पालना में आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गय, परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि थी। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को पूर्व के आवंटन की तरह ही अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–03–1987 के विरूद्व अपील दिनांक 23–01–20 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–03–1987 को पारित किया. गया है। जिसके विरूद्व अपील 23–01–2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 01–03–1976 को सलाहकार समिति की राय से अपीलांट को बतौर भूमिहन आवंटन का पात्र घोषित करते हुए सर्वप्रथम दिनांक 25–02–186 को चक 6 डीएल के मुरब्बा नम्बर 150/37 व मुरब्बा नम्बर 150/45 में 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। उक्त भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित होने के कारण दिनांक 07–03–1987 को अपीलांट को विनिमय का पात्र मानते हुए वादग्रस्त भूमि चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 84/53 के किला नम्बर 1 ता 25 में तादादी 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 84/54 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। उक्त कार्यवाही की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। अपीलांट को विनिमय में आवंटन उपरोक्त भूमि भी वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि है। इस संबंध में विद्वांन अभिभाषक अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जमाबन्दी संवत् 2073–2076 प्रस्तुत की गई है। जिसके अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि है। जोकि अपीलांट को किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकती। उपरोक्त कार्यवाही से यह साबित है कि आवेदक के प्रार्थना पत्र पर आवंटन अधिकारी द्वारा विधि सम्मत् कार्यवाही नहीं की गई है। जिस आवंटन आदेश की आज दिनांक तक कियान्विती नहीं हुई तथा राजस्व/उपनिवेशन विभाग के अधिकारी अपना रिकार्ड अपडेट नहीं कर पाये। ऐसे आवंटन का अब कोई अस्तित्व नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–03–1987 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 10.10.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर